"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 मार्च 2010—फाल्गुन 13, शक 1931

राजभवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 15-1/2007/रास/यू-13.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं शेखर दत्त, कुलाध्यक्ष, मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर उक्त निजी विश्वविद्यालय के कुलपति पद हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों की एक तालिका अनुशंसित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित करता हूं :—

(1)	पद्मश्री डॉ. ए. टी. दाबके, कुलपति, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान, विश्वविद्यालय, रायपुर.	उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुशंसित
(2)	डॉ. ओ. पी. व्यास, प्रोफेसर एवं प्रोग्राम कोआर्डिनेटर आफ साफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद.	मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तावित

(3)	डॉ. (श्रीमती) बिन्दा शर्मा, कल्पना विहार, अमेरी रोड, बिलासपुर.	मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तावित

और पद्मश्री डॉ. ए. टी. दाबके को मैं, समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं.

2. यह समिति, अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में उक्त तालिका प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-

(शेखर दत्त)
कुलाध्यक्ष,
मैट्स निजी विश्वविद्यालय, रायपुर

संचालक, मुद्रण लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.